


Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders necessary
<p>05-10-16</p>	<p>राज्य द्वारा एडीपीओ उप०।  आरोपीगण सहित अधि० श्री राजीव शुक्ला उप०  प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।  आज दिनांक को फरियादी श्रीमती निर्मला उप० है।  फरियादी की पहचान अधि० श्री प्रदीप शर्मा द्वारा की गई है।  इसी प्रकम उभयपक्षों द्वारा व्यक्त किया गया कि वह  प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते हैं चूंकि  उभयपक्ष प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते हैं।  अतः प्रकरण मीडिएशन की कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित मीडिएटर श्री गोपेश  गर्ग न्यायिक मजि० प्रथम श्रेणी गोहद के न्यायालय में भेजा जाता है। इस  संबंध में रेफरल ऑर्डर तैयार किया जावे।  उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वह  मीडिएशन की कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित मीडिएटर श्री गोपेश गर्ग न्यायिक  मजि० प्रथम श्रेणी गोहद के न्यायालय में उप० हों। प्रकरण मीडिएशन  रिपोर्ट हेतु थोड़ी देर पश्चात पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">प्रतिनिधित्व  जो० प्रम० एफ० सी० प्रथम श्रेणी  न्यायिक मजि० प्रथम श्रेणी  गोहद जिला- मिण्ड (म.प्र.)</p> <p>पक्षकार पूर्ववत्  प्रकरण में मीडिएशन रिपोर्ट प्राप्त।  इसी प्रकम पर उभयपक्षों द्वारा दप्रस की धारा 320(2)  के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में  राजीनामा करने की अनुमति चाही गयी।  प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से  दर्शित है कि प्रकरण में आरोपी आकाश शर्मा पर भादस की धारा  294,323/34एव 506 भाग दो तथा आरोपी नाथूराम पर भादस की धारा  294,323 एवं 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं।  आरोपीगण पर आरोपित अपराध न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य  है। फरियादी निर्मला ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के  राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं  लोकनीति के अनुरूप है। अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन  स्वीकार किया जाता है एवं उभयपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की</p>	<p>नर्मला  Oshinivind Sharma  Rajeev  5-10-16  प्रतिपक्ष</p> <p>आकाश शर्मा</p> <p>नाथूराम शर्मा</p>



# Order Sheet [Contd]

II-156  
C.J.

Case No. .... of 20 .....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>अनुमति प्रदान की जाती है। राजीनामा के आधार पर आरोपी आकाश शर्मा को भादस की धारा 294,323/34 एवं 506 भाग दो तथा नाथूराम को भादस की धारा 294,323 एवं 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।</p> <p>आरोपीगण पूर्व से जमानत हैं उनके जमानत व मुचलके भारहीन किए जाते हैं।</p> <p>प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है।</p> <p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण को अभिलेखागार में जमा किया जावे।</p> <p style="text-align: center;"> प्रतिष्ठा अवस्था जएमएफसी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला- बिण्ड (म.प्र)</p>	